सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं:. NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW-RU-IV दिनांक : 17.02.2026

सेवा मे,

अध्यक्ष,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
लिमिटेड (सेल),
इस्पात भवन,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल: chairman.sail@sail.in,

विषय: अनुकम्पा के आधार पर SAIL MIOM में नौकरी देने के संबंध में -श्री विजय कुमार मेलगन्डी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2025 एवं 13.08.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री विजय कुमार मेलगन्डी,
महामंत्री भारतीय जनता पार्टी
आर.पी.कॉलोनी, वार्ड नं. 03,
भलियाकुदर चक्रधरपुर,
जिला-पश्चिमी सिंहभूम, (झारखंड)
(Ph No. 9431347906)

PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW

स्व. गुरुराम बिरुली, वरीय वाहन चालक, SAIL (Meghahatuburu Iron Ore Mines) के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति न दिए जाने के संबंध में श्री विजय कुमार मेलगन्डी की शिकायत पर दिनांक 05.08.2025 को 02:20 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की दिनांक एवं समय: 05.08.2025 एंव 13.08.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

श्री विजय कुमार मेलगन्डी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी (ST मोर्चा), पश्चिम सिंहभूम, झारखंड, से दिनांक 10.08.2022 को आयोग में शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में उल्लेख किया गया कि स्व. गुरुराम बिरुली, SAIL (Meghahatuburu Iron Ore Mines) में वरीय वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे, जिनका 15.12.2015 को ड्यूटी पर जाते समय रास्ते में हृदयाघात से निधन हो गया। कंपनी के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी घर से कार्यस्थल जाते समय अथवा वापसी के क्रम में 2 घंटे के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। अन्य कर्मचारियों को इस प्रावधान का लाभ भी दिया गया है। किन्तु स्व. गुरुराम बिरुली के मामले में उस समय के महाप्रबंधक द्वारा अनुशंसा किए जाने के बावजूद अब तक समाधान नहीं किया गया।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.11.2022 को अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL), नई दिल्ली को नोटिस भेजा गया।

3. मामले में अपेक्षित कार्रवाई न होने, शिकायतकर्ता से लगातार प्रत्युत्तर प्राप्त होने तथा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा तीन बार सुनवाई की गई। द्वितीय सुनवाई दिनांक 28.02.2025 को आयोजित हुई, जिसमें आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ कीं गई :

i. स्व. गुरुराम बिरुली द्वारा कितने दिनों तक लगातार रात्रि पाली में कार्य किया गया, इसकी उपस्थिति का विवरण आयोग को प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कंपनी के नियमों

आ.शा.लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

की प्रति उपलब्ध कराई जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कोई कर्मचारी लगातार 2.5 माह तक रात्रि पाली में कार्य कर सकता है या नहीं।

ii. आयोग द्वारा मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खान (Meghahatuburu Iron Ore Mines) का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।

iii. अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित SAIL के सभी नियमों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

iv. यह भी स्पष्ट किया जाए कि यदि कार्यावधि के दौरान ही स्व. गुरुराम बिरुली की तबीयत खराब हो गई थी और वे बिना उपस्थिति दर्ज किए कार्यस्थल से लौटे तथा उसी पीड़ा के क्रम में अस्पताल में भर्ती हुए, तो उन्हें On Duty क्यों नहीं माना गया।

v. मामले के सभी तथ्यों एवं याचिकाकर्ता के पक्ष को ध्यान में रखते हुए विषय को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए, ताकि मंत्रालय से विधिक राय प्राप्त कर उचित निष्पादन किया जा सके।

4. समय पर अनुशंसाओं पर कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) प्राप्त न होने के कारण अगली सुनवाई दिनांक 05.08.2025 निर्धारित की गई, किंतु सक्षम प्राधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। फलत: मामले में पुनः सुनवाई दिनांक 13.08.2025 के लिए निर्धारित की गई तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए।

5. मामले में सुनवाई दिनांक 05.08.2025 को हुई चर्चा के दौरान आयोग में पूर्व में हुई सुनवाई में दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसमें यह पाया गया कि अनुशंसा सं. 1 एवं सं. 5 पर संबंधित विभाग की कार्रवाई अभी भी लंबित है। उल्लेखनीय है कि सुनवाई के लगभग छह माह पश्चात भी अनुशंसाओं पर कार्रवाई न करना तथा समय पर कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना विभाग द्वारा मामले की गंभीरता को पर्याप्त रूप से न समझने का द्योतक है।

6. प्रकरण की सुनवाई में आयोग को दिनांक 12.08.2025 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गई तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल) को उपस्थित होने हेतु नामित किया गया। दिनांक 12.08.2025 का एक पत्र निदेशक, इस्पात मंत्रालय (सेल प्रभाग) से भी प्राप्त हुआ, जिसमें सचिव, इस्पात मंत्रालय की ओर से छूट का अनुरोध किया गया, क्योंकि सचिव महोदय दिनांक 13.08.2025 को पूर्व निर्धारित आधिकारिक दौरे पर होने के कारण सुनवाई में सम्मिलित नहीं हो सके।

7. सुनवाई के दौरान निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेल की ओर से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। सचिव, इस्पात मंत्रालय सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

8. सुनवाई के उपरांत अभिलेखों, प्रस्तुत उत्तरों एवं उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

1. संबंधित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.08.2025 के प्रत्युत्तर में संलग्नक–I प्रस्तुत किया गया है, जिसमें करुणा नियुक्ति से संबंधित मामलों के निपटान हेतु दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया सम्मिलित हैं, जो दिनांक 20.02.2010 को प्रसारित किए गए थे।
2. उक्त दिशा-निर्देशों के बिंदु 3 (उप-बिंदु 3.1(क)) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि रोजगार के दौरान एवं उससे उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अक्षमता की स्थिति में, एनजेसीएस (NJCS) समझौते के अनुसार करुणा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।
3. उक्त दिशा-निर्देशों के बिंदु 9 (उप-बिंदु 9.2) के अनुसार, यदि ड्यूटी के दौरान बीमारी विकसित होने से अथवा ड्यूटी स्थल से सीधे अस्पताल ले जाने की स्थिति में मृत्यु होती है तथा बीमारी का कार्य से कारणात्मक संबंध (causal connection) स्थापित होता है और यह न्यायिक निर्णयों के अनुरूप हो, तो करुणा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
4. आयोग यह संज्ञान लेता है कि दिवंगत श्री गुरुराम बिरुली, उनकी पत्नी के कथनानुसार, विगत लगभग 2.5 माह से निरंतर रात्रि पाली में कार्यरत थे। खान अधिनियम, 1952 के अध्याय VI के अनुसार कोई भी व्यक्ति सप्ताह में छह दिन से अधिक खदान में कार्य नहीं करेगा तथा यदि रात्रि में कार्य करता है तो रात्रि पाली से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश को 24 लगातार घंटों के रूप में गिना जाता है।
5. आयोग द्वारा दिनांक 28.02.2025 की कार्यवाही में दिवंगत कर्मचारी की उपस्थिति (Attendance) का रिकॉर्ड विशेष रूप से मांगा गया था, तथापि संबंधित प्राधिकरण द्वारा अब तक उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है।
6. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एवं सेवा विधि के अंतर्गत स्थापित न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार, हृदयाघात से हुई मृत्यु को कार्य से संबंधित मानने हेतु "त्रि-परीक्षण (Triple Test)" अपनाया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि (i) कर्मचारी ड्यूटी पर था या नहीं, (ii) बीमारी का कार्य से कारणात्मक संबंध है या नहीं, तथा (iii) चिकित्सकीय/न्यायिक समर्थन उपलब्ध है या नहीं।
7. यह भी अवलोकन हुआ है की वर्तमान मामले में संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त "त्रि-परीक्षण" के आधार पर कोई समुचित मूल्यांकन किया गया प्रतीत नहीं होता तथा इस मानक को लागू न किए जाने के कारण भी अभिलेखों पर स्पष्ट नहीं हैं।
8. उपलब्ध तथ्यों, प्रस्तुत अभिलेखों तथा दिवंगत कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग के समक्ष यह संभावना उभरकर आती है कि रोजगार एवं मृत्यु की परिस्थितियों के मध्य कारणात्मक संबंध स्थापित हो सकता है।

9. <u>मामले में उपरोक्त अवलोकनों के आलोक में आयोग निम्नलिखित अनुशंसाएँ करता है :-</u>

1. संबंधित प्राधिकरण दिवंगत श्री गुरुराम बिरुली की उपस्थिति (Attendance) का पूर्ण एवं प्रमाणित रिकॉर्ड आयोग को तत्काल उपलब्ध कराया जाए।
2. संबंधित प्राधिकरण यह स्पष्ट करे कि वर्तमान मामले में "त्रि-परीक्षण (Triple Test)" का अनुप्रयोग क्यों नहीं किया गया तथा इस संबंध में कारण सहित लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

3. संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम तथा स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के आलोक में मामले का पुनः परीक्षण कर, करुणा नियुक्ति/प्रतिपूर्ति की स्वीकार्यता के संबंध में एक निष्पक्ष एवं कारणयुक्त निर्णय लिया जाए।
4. अगली सुनवाई माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी (NCST) की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग (Full Commission) द्वारा इस मामले पर पुनः विचार हेतु की जाएगी, जिसकी तिथि की सूचना संबंधित पक्षों को पृथक रूप से दी जाएगी। सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को अगली सुनवाई में सम्मिलित करने हेतु नोटिस जारी किया जाए।
5. संबंधित प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) आयोग को 15 दिवस की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
04/02/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW-RU-IV

Sitting to be held on **05.08.2025 at 02.20 P.M-** अनुकम्पा के आधार पर SAIL MIOM में नौकरी देने के संबंध में **श्री विजय कुमार मेलगन्डी** -, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश का दिनांक 10.08.2022 का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri Rahul Investigator		
4.	Ms. Riya Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Chairman, Steel Authority of India, New Delhi**		
1.	K. K. SINGH	D(P), SAIL	[signature]
2.	B. S. POPLI	ED(HR), SAIL	[signature]
3.	Moloy Goswami	GM (HR), SAIL	[signature]
4.	Shipra N. Hembrom	AGM (HR) BSL	[signature]
5.	BABITA	AGM(HR), CO	Babita
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Bijai Kr. Melgandi 9431347986, 8709359754	Petitioner	[signature]
2.			